कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज0)

दिनांक 17/5/02

क्रमांक/संस्था/2002/ 370

अध्यक्ष,
महिला आश्रम, भीलवाड़ा ।

:- आवंटन पत्र :-

विषय:- महिला आश्रम भीलवाड़ा को विजय सिंह पथिक नगर में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड आवंटन ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत महिला आश्रम भीलवाड़ा को शैक्षणिक गतिविधियों (शारिरिक प्रशिक्षण, डिप्लोमा एवं तकनीकी प्रशिक्षण) हेतु नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 18(1)(एवं राज्य सरकार के पत्र क्र0:-प.3(7)नविवि/3/99 दिनांक 3-4-2002 के क्रम मे महाविद्यालय हेतु पथिक नगर योजना में 8 बीघा (24200 वर्गगज) आर भूमि आरक्षित दर(450/-) की 10 प्रतिशत(45/-रू0प्रति वर्गगज)दर पर आवंटन किया जाता है।भूखण्ड की राशि 10, 89000/-(दसलाख नैवासी हजार)रू0 30 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी।आवंटन पूर्वत:ही निम्न शर्तों पर किया जाता है:-

(1) आवंटित की जाने वाली भूमि किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु प्रयोग में नहीं लाई जावेगी एवं नही किसी प्रकार का वाणिज्यिक लाभ प्राप्त किया जावेगा।

(2) उक्त भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ गतिविधियां यथा महाविद्यालय, पुस्तकालय, आदि संचालित की जावेगी।अन्य किसी प्रयोग में नहीं लाई जावेगी।

(3) उक्त भूमि का भविष्य में किसी प्रकार से हस्तांतरण नहीं किया जावेगा।तथा आवंटन से एक वर्ष की अवधि में भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर दो वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूर्ण कराना होगा ।

(4) राज्य सरकार या न्यास को भूमि की आवश्यकता होने पर आवंटन दर पर भूमि पुन: प्राप्त की जा सकेगी* अर्थात भूमि न्यास को समर्पित करनी होगी।

(5) संस्थान की कार्यवाहीकार्यवाही समिति मे जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि एवं उप नगर नियोजक न्यास, भीलवाड़ा सदस्य होंगे।उक्त संस्था को शैक्षणिक गतिविधियों में 8 प्रतिशत स्थान राज्य सरकार/न्यास की सिफारिशों पर भरना होगा।

(6) उक्त भूमि पर बनाये जाने वाले भवन का राज्य सरकार/न्यास द्वारा नियमानुसार अस्थाई रूप से बिना क्षतिपूर्ति के अधिग्रहण किया जा सकेगा।

(7) यह आवंटन दो वर्ष की अवधि के लिये किया जा रहा है अत: दो वर्ष की अवधि मे भवन निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूर्ण कराना होगा।यदि उक्त अवधि मे निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है या किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो भूखण्ड स्वत: ही निरस्त समझा जावेगा।

(8) आवंटित भूखण्ड पर नियमानुसार लीज राशि देय होगी।

सचिव 17/5

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

For MAHILA ASHRAM, BHILWARA

Authorised Signatory

Scanned with CamScanner

UIB

पट्टा विलेख

शैक्षणिक प्रयोजनार्थ

~~निवास स्थान~~ के लिये

आज दिनांक 14/8/2002 को एक और राजस्थान के राज्यपाल की ओर से नगर सुधार न्यास भीलवाड़ा जिसे इसमें एतद् पश्चात् पट्टादाता कहा गया है और दूसरी ओर **अध्यक्ष महिला आश्रम पुर [illegible] भीलवाड़ा** जिसे इसमें एतद् पश्चात् पट्टाधारी कहा गया है, के बीच यह अनुबन्ध लिखा गया।

चूंकि पट्टादाता एक **शैक्षणिक प्रयोजनार्थ** भूखण्ड(प्लाट)। जिसका वर्णन आगे संलग्न अनुसूचि में किया गया है इस विलेख में एतद् पश्चात् बताऐ गये ढ़ग से पट्टाधारी को पट्टे द्वारा अतिरिक्त करने के लिए सहमत हो गया है।

अतः अब यह अनुबन्ध इस बात कि साक्ष्य के रूप में है कि इस विलेख के निष्पादन से पहले प्रीमीयम के प्रयोजन से दिये गये **10,89000/-** रूपये अक्षरे **दस लाख नवासी हजार** रूपये मात्र की राशि जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतद् द्वारा अंगीकार करता है और नगर कर निर्णारण (Urban Assesment) जिसका अधिकार एतद् पश्चात् आरक्षित रखा गया है और पट्टाधारी की ओर से प्रसंविदाओं से जो एतद् पश्चात् अतर्दिष्ट है के प्रतिफल स्वरूप पट्टादाता उस सम्पूर्ण भूखण्ड (प्लाट) को जो **[illegible]** योजना के नक्शे (Lay out Plan) में स्थित शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ~~निवास~~ भूखण्ड संख्या **आरक्षित** के नाम जिसका क्षैत्रफल **24200** वर्गगज है जिसे शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड का अधिक विशेष रूप से वर्णन इस अनुबन्ध के आगे लिखी हुई अनुसूची में किया गया है तथा उसकी सीमायें अधिक स्पष्टता के लिये इस विलेख में साथ संलग्न प्लान जो इसमें शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड के अथवा उसके सम्बन्ध समस्त अधिकार सुविधा में (Emenatees) और अनुलग्न वस्तुऐं जो भी हो एतद् द्वारा पट्टाधारी एतद् द्वारा को अन्तरित करा है। पट्टाधारी एतद् द्वारा पट्टान्तरित की गई भूमि दिनांक **17/5/02** से निनानवे वर्ष की अवधि के लिए उसे वार्षिक निर्धारित नगर कर रूपये 27225/- ~~**21780/-**~~ जो अग्रिम देय है अथवा ऐसा अन्य निर्धारित नगर कर जो प्रसंविदाओं तथा आगे अंतर्दिष्ट किये गये प्रतिबन्धों के अधीन एतद् पश्चात् निर्धारित किया जाय की माँग की पालना करते हुए तथा नगर सुधार न्यास के कार्यालय में अथवा अन्य स्थान में जो पट्टादाता द्वारा एतद् प्रयोजनार्थ अधिकृत किया जाय उसका शोघन जो सब कटौतियों से रहित हो वार्षिक भुगतानों में दिया जावेगा जिसमें पहला ऐसा भुगतान नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा को किया जावेगा। पट्टाधारी द्वारा करते हुए धारित करेगा।

परन्तु इस अनुबन्ध में आगे अंतर्दिष्ट अपवादों आरक्षणों (Reservation) प्रसंविदाओं तथा प्रतिबन्धों अर्थात निम्नांकित के सदैव अधीन रहते हुये :-

उप पंजीयक भीलवाड़ा

सचिव
नगर विकास न्यास भीलवाड़ा.

अध्यक्ष
महिला आश्रम भीलवाड़ा

औद्योगिक प्रयोजनार्थ

1. पट्टादाता निवास भूखण्ड पर या उसके नीचे की समस्त खानों खनिजों कोयला स्वर्ण (Gold) भूमि के तेल (Earth Oil) और खदानों को तथा निवास भूखण्ड का तत्समय उस पर खड़े किसी भवन को धरातल के लिए किसी अवलम्ब की व्यवस्था किये बिना उसे रहने दिये बिना सब समय ऐसे समस्त कार्य और बाते जो अन्वेषण खनन प्राप्त करने,हटाने और उनका उपयोग करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या इन्टर हो करने के लिये पूरे अधिकार और शक्ति को अपवर्जित करके अपने अधिकार में आरक्षित रखता है परन्तु सदैव यह शर्त रहेगा कि एतद् द्वारा आरक्षित अधिकारों या उसमें से किसी अधिकार या प्रयोग करने में प्रत्यक्षः हुई किसी क्षति के लिये पट्टादाता पट्टाधारी को उचित क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।

2. पट्टाधारी अपने लिये, अपने दादों, निष्पादकों (Executors) प्रबन्धकों और अभि हस्तांकितियों (Assign connts) के लिये पट्टादाता के निम्न रूपेण प्रसंविदा करता है अर्थात –

A. पट्टाधारी पट्टादाता को एतद् द्वारा आरक्षित वार्षिक किराया उन दिनों का और एक ढंग से देगा जिनका इसमें पूर्ण उल्लेख किया गया है।

B. पट्टाधारी निर्धारित नक्शे (Lay out plan) से किसी भी रूप में विचलित नहीं होगा न उप विभाजन का संमिश्रण (Amnlgamation) द्वारा अन्यथा निवास भूखण्ड की परिभाषा में कोई परिवर्तन करेगा।

C. पट्टाधारी..17/5/02........से 2 वर्ष की अवधि और इस तरह से निर्दिष्ट देय संविदा की सारवस्तु होगी के भीतर भवन के नक्शे (Building Plan) के लिये स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अपने स्वयं के व्यय पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ निवास भूखण्ड पर निजी आवास के लिये भवन के स्वीकृत नक्शे के अनुसार एक निवास भवन खड़ा करेगा और उसे पर्याप्त रूप से तथा कोशलपूर्ण ढंग से पूरा करेगा तथा सुधार न्यास से हक में एक पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र (Completion Certficate) प्राप्त करेगा। परन्तु पट्टाधारी ऐसे उपग्रहों और सेवकों के क्वाटर के अतिरिक्त जिनका नगर सुधार न्यास द्वारा अनुमोदन कर दिया जाए उक्त भूखण्ड पर एक से अधिक भवन खड़े नहीं करेगा।

औद्योगिक प्रयोजनार्थ

D. पट्टाधारी अपने निवास भूखण्ड या उसके किसी भाग को तो न बेचेगा न हस्तान्तरण करेगा न अभिहस्तारित करेगा या न किसी अन्य प्रकार से उस पर से कब्जा छोडेगा सिवाय पट्टादाता की पूर्व लिखित सहमति के परन्तु शर्त यह है कि ऐसी सहमति, इस पट्टे के प्रारम्भ से दस वर्ष तक नहीं दी जावेगी। तब तक पट्टादाता की राय में ऐसी सहमति प्रदान करने के लिये विशेष परिस्थियां विद्यमान न हो परन्तु शर्त यह है और है कि सहमति दी जाने की दशा में पट्टादाता ऐसे निबन्ध और लगा सकता है जिन्हें वह उचित समझे ।

औद्योगिक प्रयोजनार्थ

E. जब कभी पट्टाधारी निवास भूखण्ड से किसी भी तरह से हस्तान्तरित किया जाय हस्तान्तरित इस पट्टे में अंतर्दिष्ट समस्त प्रसंविदाओं और प्रतिबन्धों से बाध्य होगा और उनके लिये सब तरह से उत्तरदायी होगा।

अध्यक्ष
महिला आश्रय भीलवाड़ा

सचिव
नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

जब कभी पट्टाधारी का स्वत्व ~~निवास~~ भूखण्ड के किसी भी तरह से हस्तान्तरित किया जा, हस्तान्तरक और हस्तान्तरित हस्तान्तरण के तीन माह भीतर ऐसे हस्तान्तरण को नोटिस पट्टादाता को लिखित में देंगे।

पट्टादाता की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे मृतक के स्वत्व का प्रकान्त हुआ है। प्रकामण (Devoles) के तीन महीने के भीतर ऐसे प्रकारण का नोटिस देगा। पट्टाधारी और उसकी मृत्यु की दशा में उसका उत्तराधिकारी पर्याप्त कारण के बिना ऐसा नोटिस देने में चूक या उपेक्षा करता है तो वह ऐसी चूक या उपेक्षा के लिए 100,00 रूपये देने का भागी होगा।

G. पट्टाधारी समय–समय पर और सब समय ऐसे समस्त स्थानीय करों (Rates) प्रभारों (Taxes Charges) प्रत्येक प्रकार के निर्धारण करों का भुगतान और चुकारा करेगा जो एतद् द्वारा पट्टान्तरित निवास भूखण्ड पर या उस पर खड़े किसी भवनों पर उससे संबंधित भूस्वामी का आसामी पर निर्धारित किये गए हैं प्रभृत किये गये हैं या लगाये गये है अथवा एतद् पश्चात् किसी सयम पट्टे के चालू रहने के दौरान निर्धारित किये जाये प्रभुत किये जाये या लगाये जाये।

H. एतद् द्वारा पट्टान्तारित ~~निवास~~ भूखण्ड के सम्बन्ध में देय नगर कर निर्धारिण को समस्त बकाया राशियों तथा भुगतान भी उसी प्रकार वसूली योग्य होगी जिस प्रकार भूराजस्व की बकाया राशियां।

I. पट्टाधारी नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा की लिखित स्वीकृति के बिना ~~निवास~~ भूखण्ड पर कोई भवन खड़ा नहीं करेगा या ऐसे भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा।

J. पट्टाधारी पट्टादाता की लिखित स्वीकृति के बिना पट्टान्तरित ~~निवास~~ भूखण्ड या उस पर खड़े किसी भवन में किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा या निजी आवास के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसका प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं देगा या उसमें किसी प्रकार का ऐसा कार्य या बातें नहीं करेगा या करने देगा जो पट्टादाता की राय में पट्टादाता तथा पड़ौस में रहने वाले लोगों के लिए त्रास (Nuisence) संतापन (Annoysence) या विक्षेप (Disturbance) हो परन्तु यदि पट्टाधारी उक्त पट्टान्तरित निवास भूखण्ड या खड़े भवन का प्रयोग निजी आवास के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन करने के इच्छुक है तो पट्टादाता ऐसे निबन्धनों और प्रतिबन्धनों पर जिनके अतिरिक्त प्रीमियम और अतिरिक्त किराये भुगतान सम्मिलित है जो पट्टादाता अपने विवेक से निर्धारित करे प्रयोग के ऐसे परिवर्तन के लिए अनुमति दे सकेगा।

K. पट्टाधारी इस पट्टे की समाप्ति (Determention) पर उक्त ~~निवास~~ भूखण्ड पर या उस पर खड़े भवनों को शांतिपूर्वक पट्टादाता को समर्पित कर देगा यदि प्रीमियम या वार्षिक निर्धारित नगर कर के सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एतद् द्वारा रक्षित राशि या राशियों अथवा उसका कोई अंश उसी समय बकाया रह जायेगा और उन दिनों में से किसी दिन व जब वह देय हो उसे एक कलेन्डर माह पश्चात् तब बिना भुगतान रहेगा चाहे उसकी मांग की गई हो या न की

उप पंजीयक भीलवाड़ा

अध्यक्ष
महिला आश्रम भीलवाड़ा

सचिव
नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

गई हो या यदि पता चले कि कोई तथ्य छिपाकर या कोई मिथ्याकथन या छल करके पट्टा प्राप्त किया गया है। अथवा यदि पट्टादाता जिसका निर्णय अंतिम होगा उस प्रसंविदाओं या निबन्धकों जो इसमें अंतर्दिष्ट है जिसका उसकी ओर से अनुसरण और पालन किया जाना हो में से किसी को भंग पट्टाधारी द्वारा अथवा उसके मार्फत या उसके अधीन रहकर अधिकार घोषित करने वाले व्यक्ति द्वारा कर दिया जावेगा। तो और ऐसे किसी भी मामले में एतद् द्वारा पट्टान्तरित निवास भूखण्ड तथा और उस पर खड़े भवनों में प्रवेश करने के किसी पूर्वाधिकार का अधिनस्त होते हुए भी उक्त निवास भूखण्ड तथा उस पर खड़े भवनों और स्थापकों को पुनः प्रवेश करने और उन पर कब्जा कराना पट्टादाता के लिए वैध होगा और ऐसा होने पर यह पट्टा और इस विलेख में निहित कोई बात निवर्तित होकर समाप्त हो जावेगी और पट्टाधारी किसी भी क्षतिपूर्ति का या उसके द्वारा दिये गये किसी प्रीमियम को वापस लेने का कहदार नहीं होगा। परन्तु इसमें अन्तर्दिष्ट किसी भी बात के विपरित होते हुए भी पट्टादाता पुनः प्रवेश के अपने अधिकार जैसा कि पूर्व में कहा गया है यह प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अपने पूर्ण विवेक से ऐसी राशि की प्राप्ति पर और ऐसे निबन्धनों और प्रतिबन्धनों पर जो उसके द्वारा निर्धारित किये जाए, भागों पर अस्थाई रूप से अथवा कार्यवाही न करके उनको दोष मार्जित कर सकेगा और 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगाये गये ब्याज सहित निर्धारित नगर कर की उक्त राशियाँ जो बकाया होगी जैसा ऊपर कहा गया है कि भुगतान भी ग्रहध कर सकेगा।

3. जब्ती या पुनः प्रवेश तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक पट्टादाता –

(क) उस भाग विशेष का उल्लेख करते हुए जिसके सम्बन्ध में शिकायत है तथा –

(ख) यदि भंग प्रतिकार के योग्य हैं तो उस भंग का प्रतिकार करने की पट्टादाता से अपेक्षा करते हुए

ने एक लिखित नोटिस पट्टाधारी को न पहुंचा दिया जो पट्टाधारी ने ऐसे यथोचित समय जिसका उल्लेख नोटिस में किया जाये के भीतर भंग का प्रतिकार करने में यदि किसी भी प्रतिकार के योग्य है चूक न कर दी हो और जप्ती या पुनः प्रवेश की दिशा में पट्टादाता अपने विवेक से ऐसे निबन्धनों और प्रतिबन्धनों पर जैसा कि उचित समझे जप्ती के विरूद्ध उपलयन कर सकता है।

इस खण्ड की कोई बात

औद्योगिक प्रयोजनार्थ

(क) उप विभाजन समिश्रण (Amalgamation) तथा ~~निवास~~ भूखण्ड के हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रसंविदाओं और प्रतिबन्धनों जिनका खण्ड दो में उल्लेख किया है के भंग के लिए अथवा

(ख) यदि यह पट्टा किसी तथ्य को छिपाकर मिथ्याकथन भ्रान्तकथन या छल करके प्राप्त किया गया है तो जप्ती या पुनः प्रवेश पर लागू नहीं होगा।

अध्यक्ष
महिला आश्रम भीलवाड़ा

सचिव
नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

4- नगर कर निर्धारण जिसका अधिकार एतद्द्वारा आरक्षित रखा गया है प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात संशोधित किया जा सकेगा किन्तु वृद्धि पहले लिए गए कर के 25 % से अधिक नहीं होगी ।

5- पट्टादाता इस पट्टे के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली समस्त शक्तियाँ या उसमें से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अध्यक्ष नगर सुधार न्यास या किसी भी अन्य अन्य अधिकारी को अधिकृत कर सकेगा।

6- इस पट्टे के अंतर्गत दिए जाने वाले समस्त नोटिस, आदेश, निर्देश, सहमतियाँ का अनुमोदन लिखित मे होगाऔर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे जो पट्टादाता द्वारा इसे

7- अधिकृत कर दिया जाय और और यदि उन्हे कार्यालय भूखण्ड पर खड़े अस्थाई या अन्यथा किसी भवन का निर्माण कर चिपका दिया जायगा।या पट्टाधारी या अन्य उक्त व्यक्ति के तत्समय के निवास स्थान या कार्यालय या व्यापार या प्रायः निवास स्थान अथवा अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर सौंप दिया जावेगा या डाक से वहाँ भेज दिया जायगा । तो उसे पट्टाधारी या कार्यालय भूखण्ड पर किसी अधिकार का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को यथा विधि पहुँचा हुआ माना जायगा ।

इस विलेख में इससे पूर्व प्रयुक्त पदावली पट्टादाता पट्टाधारी में जहाँ संदर्भ में ऐसा मान्य है पट्टादाता की दशा में ~~उसके उत्तराधिकारी~~ इसे उसे अधिकारी और अभिहस्तांकिता और पट्टाधारी की दशा में उसके दायक निष्पादक प्रबन्धक या वैध प्रतिनिधि और यह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनमे एतद् द्वारा सर्जित पट्टाधारण का हित अभिहस्तांकन अथवा अन्यथा तत्समय निहित होगा सम्मिलित होंगे ।

8- पट्टादाता पट्टान्तरित भूखण्ड के किसी भाग को विकास/सुधार कार्यों के प्रयोजनार्थ उसी दर पर जिस पर कि उक्त भूखण्ड आवंटित किया गया है पट्टाधारी से पुनः प्राप्त कर सकेगा और ऐसे भाग पर निर्मित भवन आदि का मुआवजा पृथक से देगा ।

9- पट्टाधारी द्वारा निर्मित भवन को राष्ट्रहित के कार्यों एवं राष्ट्रीय विपत्तियों के समय पट्टादाता द्वारा अस्थाई उपयोग के लिए लिया जा सकेगा और इस प्रकार किये गये उपयोग के बदले किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

10- यह पट्टा गवर्मेन्ट ग्रान्टस एक्ट 1895/15 सन् 1985 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है जैसा -जिसके साक्ष्य में ऊपर प्रथमतः लिखे गये दिन और वर्ष को पट्टादाता के लिए और उसकी ओर से तथा उनके आदेश और निर्देश से सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने इस पर अपने हस्ताक्षर किये पट्टाधारी ---------- अध्यक्ष महिला आश्रम, भीलवाड़ा ने इस पर अपने हस्ताक्षर किये।

11- भूमि को किसी को भी बेचान या रहन नहीं किया जा सकेगा ।

12- न्यास द्वारा किसी भी शर्त/आदेश भारी पड़े पर उसकी पालना की जावेगी ।

13- पट्टा विलेख पत्र में भूखण्ड का आवंटन शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ही पटा जावे ।

अध्यक्ष
महिला आश्रम भीलवाड़ा

उप पंजीयक भीलवाड़ा

सचिव
नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

:- निर्दिष्ट अनुसूची :-

भूखण्ड जो योजना के नक्शे में स्थित है {साईड प्लान} भूखण्ड संख्या ~~5 आरक्षित है~~ योजना ~~विजय सिंह पथिक नगर~~ जिसका नाप क्रमशः 24200 वर्गमीटर तथा सीमायें निम्न प्रकार है:-

पूर्व : सड़क 30 फीट चौड़ी

पश्चिम सड़क 80 फीट चौड़ी

उत्तर न्यास भूमि

दक्षिण सड़क 200 फीट चौड़ी

और जिसे संलग्न नक्शे में दिखाया गया है और जिसे लाल रंग की सीमाओं से चिन्हित किया गया है ।

पट्टादाता

[illegible]

सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

पट्टाधारी

साक्षी- 1 [illegible] महेन्द्र प्रताप वर्मा [illegible] भीलवाड़ा

[illegible]

अध्यक्ष

महिला आश्रम भीलवाड़ा

2 [illegible] अणिमा पुरोहित, महिला आश्रम, भीलवाड़ा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

21AA 315766

AFFIDAVIT

I, **Sumitra Pandit, Secretary** of the **MAHILA ASHRAM, BHILWARA** bearing **Registration No.10736** dated 6 June, 1945 renewed on 2.12.2002 No. 4035 with its registered office at hereby certify as follows:-

That the Trust vide its executive meeting held on 19.4.08 at Regd. Office vide item no. 4 have resolved that a total land measuring to (24,200 Sq. M.) 5.979 Acres owned by the Trust / Society Mahila ashram, bhilwara as per schedule given below in the village Bhilwara (Rajasthan) be irrevocably earmarked for the proposed (Degree Engg. / MBA / MCA / Pharmacy etc.) Institution under the name and style of Mahila ashram INSTITUTE OF TECHNOLOGY and the same shall not be used for any other purpose without the prior approval/ permission of AICTE.

Schedule:

Document No.	Date of Regn.	Plot No.	Village Area in Acres
संस्था/2002/370	17.5.2002	Araji No. 385, 386, 820, 824, 825 to 830 847, 855 to 867& 869 to 872 & 876, 877	5.979 Acres (24,200 Sq. M.) Bhilwara (Rajasthan)

Total area (in Acres) = 5.979 Acres

That the land earmarked as above is available in a single / multiple patch with distance of- meters and having total land area of 5.979 Acres with good approach road available.

That the land earmarked as above for the proposed is free from any public path, High Tension Electricity wire running across it.

That the land earmarked as above is nonagricultural / agricultural and have been permitted for Education purpose by the competent authority vide letter no. मानचित्र/संस्था/08/2070 dated 24.12.08

That the permanent building would be constructed for the proposed Institution on the land earmarked as above and the Institution is proposed to start at the permanent site only.

Further this is to certify that any of the plots as per schedule as above has not been earmarked for any existing Institution / proposal earlier.

That I, hereby confirm that all the information furnished as above is true to the best of my knowledge & belief and if any thing is found false, the proposal shall ; stand rejected.

For MAHILA ASHRAM, BHILWARA

Authorised Signatory

(Sumitra Pandit, Secretary)
MAHILA ASHRAM, BHILWARA

Scanned with CamScanner

(स्थापित : 14 नवम्बर 1944)

रजिस्ट्रेशन नं. 10736/6 जून, 1945

☎ 01482-234190

महिला आश्रम, भीलवाड़ा (राजस्थान)

क्रमांक 254

दिनांक 16/12/2019

I, **Vandana Mathur, Secretary** of the **MAHILA ASHRAM, BHILWRARA** shall execute an undertaking that the land is not mortgaged or shall not be mortgaged to any agency in future.

(Vandana Mathur, Secretary)

MAHILA ASHRAM, BHILWARA

Scanned with CamScanner

Latitude and Longitude Finder on Map Get Coordinates

LatLong.net

(6)

Get Latitude and Longitude

To make a search, use the name of a place, city, state, or address, or click the location on the map to **find lat long coordinates.**

Place Name

shiv charan mathur institute of management and technology mahila ashram pathik nagar bhilwara

Find

Add the country code for better results. Ex: London, UK

Latitude

25.361714

Longitude

74.654192

Google Cloud Free Trial

Build, Test & Deploy With Ease. Try Google Cloud Platform free with a $300 credit.

Google Cloud Platform

Lat Long	GPS Coordinates	Map Mouse Over Location
(25.361714, 74.654192)	25° 21' 42.1704" N 74° 39' 15.0912" E	(25.359775, 74.661745)

D Printer Buyers Guide - 3D Systems

t the Latest on 3D Printers Now. Which 3D Printer Is Waiting For You? 3dprinters.3dsystems.com/buyers-guide

re this location link

href="https://www.latlong.net/c/?lat=25.361714&long=74.654192" target="_blank">(25.361714, 74.654192)

and paste the html code above in your website to share.

ation page url

ps://www.latlong.net/c/?lat=25.361714&long=74.65419

सेक्रेट्री
महिला आश्रम, भीलवाड़ा

PRINCIPAL

at is Latitude and Longitude?

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक : मानचित्र/संस्था/08/2070 दिनांक : 24/12/08

सचिव,
महिला आश्रम,
भीलवाडा

विषय : विजय सिंह पथिक योजना में आरक्षित क्षैत्र में आवंटित भूमि बाबत
प्रसंग : आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 303 दिनांक 10.12.08

प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आपकी संस्था को शैक्षणिक गतिविधियों वास्ते क्रमशः 60485.07 वर्गगज़ भूमि आवंटित की गई थी उक्त भूमि ग्राम भीलवाडा की निम्न आराजीयात में आती है – 385,386,820,824,825 से 830,847,855 से 867 एवं 869 से 872 तथा 876,877 में आती है।

सचिव
नगर विकास न्यास
भीलवाडा

Scanned with CamScanner